क्रम-संख्या–26

संख्या 2098/इक्कीस––3 (10)–74

प्रेषक,

श्री भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
डिवीजनों के आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट,
जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश और
अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊ, 31 अक्तूबर, 1974।

विषय––सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग

महोदय,

भाषा अनुभाग–1

वर्ष 1971 में यह आदेश जारी किया गया था कि अंग्रेजी इस प्रदेश की राजभाषा नहीं है अतः इसका उपयोग पूरी तरह और तत्काल बन्द होना चाहिये और इस आदेश का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जायगा। तदनन्तर उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के लिये अनेक आदेश जारी किये जाते रहे हैं। अभी हाल में मुख्य सचिव की ओर से जारी किये गये शासनादेश संख्या 1534/इक्कीस––3 (10)–74, दिनांक 20 जुलाई, 1974 में समस्त विभागाध्यक्षों आदि से पुनः यह कहा गया कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके अधीनस्थ सभी अधिकारी/कर्मचारी समस्त कार्य हिन्दी में ही कर रहे हैं और उनके पालन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जा रही है। किन्तु इन सभी आदेशों के बावजूद शासन को आज भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कहीं-कहीं अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विशेष कर जिला मुख्यालयों में सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। सरकार ऐसे मामलों को गम्भीर दृष्टि से देखती है।

2––अतएव इस संबंध में शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्तिम रूप से सचेत किया जाता है कि वे भविष्य में समस्त सरकारी प्रयोजनों के लिये देवनागरी लिपि में हिन्दी का ही इस्तेमाल करें अन्यथा शासन ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही करन को बाध्य होगा।

3––इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किसी विभागाध्यक्ष आदि के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में अंग्रेजी में काम करन की शिकायत प्राप्त होती है तो यह माना जायगा कि उक्त विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष ने अपने कार्यालय में हिन्दी सम्बन्धी आदशों के पालन कराने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है।

4––यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार इस बात के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है कि हिन्दी को इस प्रदेश में उसका उचित स्थान प्राप्त हो।

भवदीय,
भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव।